न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 75/2015

वादी :-

1. पूनाराम पुत्र लाबूराम
जाति-बावरी, निवासी-राणीवाल,
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 22/05/2015

उपस्थित: 1. वादी स्वयं उपस्थित ।
2. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 22/05/2015

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र - बेंड़कलां पर आयोजित ''लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादी ने एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88, एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया हैं कि सरहद मौजा-राणीवाल पटवार मण्डल-बैंड़कला, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख़सरा नम्बर 353 रकबा 54-08 बीघा, खसरा नम्बर 410 रकबा 49-15 बीघा, खसरा नम्बर 413 रकबा 52-10 बीघा, खसरा नम्बर 353/418 रकबा 7-04 बीघा, खसरा नम्बर 412 रकबा 0-09 बीघा एवं खसरा नम्बर 411 रकबा 0-03 बीघा किस्म चाही दोयम, गै0मु0 बेरा एवं नाड़ी की भूमि आई हुई हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 के खाता संख्या 43 में नामान्तरकरण संख्या 397 दिनांक 09/06/1990 में लाबूराम के वारिसान के नाम भंवरीया मांगीया मोती नरसिंह पि0 लाबू दर्ज किया गया। उक्त भूमि में वादी का गलत दर्ज नाम भंवरिया पुत्र लाबू दर्ज हैं, जो वादी का बोलता नाम था। जबकि वादी का वास्तविक नाम पूनाराम पुत्र लाबूराम सही हैं। वाद पत्र के ताईद में दस्तावेजात फोटो पहिचान पत्र संख्या RJ/21/159/030256 की छाया प्रति भी प्रस्तुत की, जिससे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम भंवरिया पुत्र लाबू के स्थान पर पूनाराम पुत्र लाबूराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। आज दिनांक 22/05/2015 को मजमा-ए-आम में जांच कर प्रस्तुत रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक बेंड़कलां द्वारा प्रस्तुत करने पर अंकित कि ग्राम-राणीवाल के लाबूराम पुत्र पन्नाराम जाति-बावरी के चार पुत्र हैं। यथा पूनाराम मांगूराम मोतीराम नरसिंहराम पि0 लाबूराम ही हैं। परन्तु नामान्तरकरण संख्या 397 दिनांक 09/06/1990 द्वारा पूनाराम पुत्र लाबूराम के स्थान पर भंवरिया पुत्र लाबूराम दर्ज कर दिया, जो गलत हैं। पूनाराम को बोलचाल की भाषा में भंवरूराम ही कहा जाता हैं। भंवरिया एवं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पूनाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इनके अलावा स्वर्गीय लाबूराम जाति–बावरी के अन्य कोई पुत्र नहीं हैं। भंवरिया पुत्र लाबू दर्ज गलत नाम के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम पूनाराम पुत्र लाबूराम दुरूस्त दर्ज किया जाना उचित होता हैं। इसके ताईद में तस्दीक सुदा शपथ–पत्र, भी पेश किया, सा०मि० हो।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा–ए–आम लोक अदालत शिविर–बैंड़कलां में जानकारी भी प्राप्त की गई। प्रस्तुत मजमा–ए–आम जांच रिपोर्ट दिनांक 22/05/2015 एवं प्रस्तुत शपथ–पत्र एवं चुनाव पहिचान पत्र RJ/21/159/030256 दस्तावेजात अनुसार भंवरिया गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी का वास्तविक नाम पूनाराम पुत्र लाबूराम होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक वाद–पत्र एवं साक्ष्य सबूत के शपथ–पत्र मय उक्त दस्तावेजात स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम भंवरिया पुत्र लाबू बावरी निवासी–राणीवाल के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक सही नाम पूनाराम पुत्र लाबूराम दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक जांच रिपोर्ट दिनांक 22/05/2015 एवं दस्तावेजात तथा तस्दीकसुदा शपथ–पत्र अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–राणीवाल पटवार मण्डल–बेंड़कला, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 353 रकबा 54–08 बीघा, खसरा नम्बर 410 रकबा 49–15 बीघा, खसरा नम्बर 413 रकबा 52–10 बीघा, खसरा नम्बर 353/418 रकबा 7–04 बीघा, खसरा नम्बर 412 रकबा 0–09 बीघा एवं खसरा नम्बर 411 रकबा 0–03 बीघा किस्म चाही दोयम, गै०मु० बेरा एवं नाड़ी भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम भंवरिया पुत्र लाबू के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम पूनाराम पुत्र लाबूराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/अभिलेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 22/05/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र बेंड़कलां में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

1. पूनाराम पुत्र लाबूराम
जाति-बावरी, निवासी-राणीवाल,
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 75/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी संख्या. 2 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक जांच रिपोर्ट दिनांक 22/05/2015 एवं दस्तावेजात तथा तस्दीकसुदा शपथ-पत्र अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-राणीवाल, पटवार मण्डल-बेंड़कला, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 353 रकबा 54-08 बीघा, खसरा नम्बर 410 रकबा 49-15 बीघा, खसरा नम्बर 413 रकबा 52-10 बीघा, खसरा नम्बर 353/418 रकबा 7-04 बीघा, खसरा नम्बर 412 रकबा 0-09 बीघा एवं खसरा नम्बर 411 रकबा 0-03 बीघा किस्म चाही दोयम, गै0मु0 बेरा एवं नाड़ी भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम भंवरिया पुत्र लाबू के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम पूनाराम पुत्र लाबूराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र बेंड़कलां में आज तारीख 22/05/2015 को जारी किया गया'।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नरे		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	Nil		मिजानः–	Nil	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)